संख्या-1/2016/2205/38-3-2015-20/2015

प्रेषक,

डा0 हरिश्चन्द्र,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक- 01 जनवरी , 2016

विषय-वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष के मानक मद 14-मोटर गाड़ियों का क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि की प्रशासनिक स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 683/नजारत/2015, दिनांक 30 जुलाई, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- वित्तीय वर्ष 2015-16 में 14-मोटर गाड़ियों के क्रय हेतु प्राविधानित/स्वीकृत धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार उल्लिखित अधिकारियों के उपयोगार्थ लेखाशीर्षक तथा मानक मदवार निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर प्रतिस्थापन स्वरूप डी0जी0एस0एण्ड डी0 दरों पर नये वाहन क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-102 सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय

क्र0	निष्प्रयोज्य वाहन	कार्यालय/अधिकारी जिसके साथ वाहन सम्बद्ध था	प्रस्तावित वाहन	प्रस्तावित वाहन पर व्यय होने वाली धनराशि रू 0
1.	UA32डी 4535	जिला विकास अधिकारी, लखनऊ	टाटा जेस्ट एक्सटी	624319
2	UP75बी/0900	मुख्य विकास अधिकारी,इटावा	टाटा जेस्ट एक्सटी	624319

3- उपरोक्त विवरण के अनुसार निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनों का क्रय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1) वाहन क्रय से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि जो वाहन निष्प्रयोज्य/नीलाम किये गये हैं, वह परिवहन विभाग के शासनादेश दिनांक 12 नवम्बर, 1986, दिनांक 04 अक्टूबर,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1997 तथा अन्य अद्यतन शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानदण्डों के अनुसार नीलाम किये गये हैं।

(2) प्रतिस्थापन के आधार पर वाहन क्रय के सम्बन्ध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था तथा परिवहन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रस्तावित वाहनों का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर के अनुसार विभाग की नितांत आवश्यकता/अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखे हुए किया जायेगा तथा धनराशि मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) वाहनों का क्रय करते समय भण्डार क्रय से सम्बन्धित सुसंगत नियमों/प्राविधानों का सम्यकरूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कराये जाने की पुन: पुष्टि की जायेगी तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि इसकी डुप्लीकेसी नहीं की गयी है।

4- इस निमित्त होने वाला वयय वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत प्रस्तर-2 में उल्लिखित लेखा शीर्षक के मानक मद 14-मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा ग्राम्य विकास विभाग की पत्रावली संख्या-20/1015 पर प्राप्त सहमति के अनुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-1/2016/2205/38-3-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/ जिला विकास अधिकारी द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास विभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in